न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 72/2023 बउनवानी डॉ0 भूपेन्द्र सिंह बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह यादव निवासी अल्कापुरी –ए मुरलीपुरा जयपुर 302013
GCMS No-2023/142

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
19.12.2023	

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 7.10.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. यह है कि ख0न0 544/1 रकबा 6.01 बीघा ग्राम दौलतपुरा तहसील खण्डार एवं नया ख0न0 823/544 की विक्रमी सम्वत् 2038–41 से विक्रमी सम्वत् 2080 तक की खसरा जमाबन्दी एवं गिरदावरी पडत पटवार/पडत सरकार जिला अभिलेखागार की प्र0 प्रति।
2. यह है कि इसी क्रम में ख0न0 544/2 रकबा 5.15 बीघा एवं 544/3 रकबा 3.0 बीघा सल सिंह शेखावत ग्राम दौलतपुरा तहसील खण्डार की विक्रमी सम्वत् 2038–41 से विक्रमी सम्वत् 2050–2053 तक खसरा गिरदावरी एवं जमाबन्दी की पडत सरकार/ पटवार की प्र0प्रति।
3. यह है कि ख0न0 544/1 व मान्य मिसल संख्या 25/1982 सरकार बनाम रामसिंह यादव तथा मिसल संख्या 12/1982 सरकार बनाम सल सिंह मे उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.9.1982 की सम्पूर्ण रिकार्ड की प्रमाणित प्रति मय उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के आदेश दिनांक 15.5.1995 की प्र0प्रति।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही है। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक एफ.13(2)(184)/सूकाअ/2023/2934 दिनांक 05.12.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 7.10.2023 के बिन्दु संख्या 1,2 की सूचना (पड़त पटवार) तहसीलदार खण्डार के पत्रांक 4378 दिनांक 4.12.2023 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है तथा सरकार पडत की सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी भूअभिलेख के पत्रांक 5475 दिनांक 27.10.2023 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। बिन्दु संख्या 3 की सूचना रिकार्ड रूम मे तलाश किये जाने के उपरान्त भी बरामद नही होने पर संबंधित कार्मिक(रिकार्ड कीपर) को कारण बताओ नोटिस जारी कर उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को उक्त पत्रावली तलाश करवाने बाबत लिखा जा चुका है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व गनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 7.10.2023 के बिन्दु संख्या 1 व 2 की आंशिक सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है, किन्तु बिन्दु संख्या 1,2 की सरकार पडत की सूचना एवं बिन्दु संख्या 3 की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 1 [illegible] सूचना एवं बिन्दु संख्या 3 की पूर्ण सूचना अपीलान्ट को सूचना का अधिकार [illegible] के अनुसार उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2024.01.10 12:07:52 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner